संख्याः 917 /बीमा योजना–44

प्रेशक,

एस0के0 मुट्टू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0
उत्तरांचल,देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभागः देहरादूनः दिनांकः31 मार्च 2004

महोदय,

भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को बीमा सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। यह योजना **आंगनबाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना** कहलायेंगी, जो जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा समूह स्कीम के अन्तर्गत संचालित होगी। इस बीमा योजना की विशेषतायें हैः–

1- यह बीमा योजना 01–04–2004 से लागू होगी।

2- यह बीमा योजना कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं हेतु स्वैच्छिक होगी, अनिवार्य नहीं होगी।

3- समूह बीमा स्कीम में जुड़ने हेतु कार्यकत्री एवं सहायिका द्वारा व्यक्तिगत फार्म भरा जायेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की निकटतम पेंशन एवं समूह स्कीम इकाई से फार्म प्राप्त कर जिला कार्यक्रम अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकों को पहुँचाएगें। बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने की इच्छुक कार्यकत्रियों व सहायिकों की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी 30 अप्रैल, 2004 तक निदेशालय भेजेंगें। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित कार्यकत्री/सहायिका भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत पूर्व से आच्छादित नहीं हैं।

4- वार्षिक प्रीमियम की दर रू0 280/– होगी, जिसके निम्न अनुपात में अंश होगेः–

(I) जीवन बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा फंड से रू0 100/–
(II) भारत सरकार से रू0 100/–
(III) आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/सहायिका से रू0 80/–

क्रमशः—2/–

7. भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम रू0 100/- प्रति बीमित सदस्य का अंश सीधे जीवन बीमा निगम को दिया जायेगा। अतः इस योजना का विकल्प चुनने वाली कार्यकत्री एव सहायिका की अलग-अलग संख्या भारत सरकार को दिनांक 30-04-2004 तक उपलब्ध करा दी जाये।

8. योजना से आच्छादित की इच्छा रखने वाली कार्यकत्रियों एव सहायिकाओं के मानदेय से रू0 80/- का वार्षिक प्रीमियम काटकर भारतीय जीवन-बीमा निगम की पेंशन एंव समूह स्कीम इकाई को राजकीय अंशदान के साथ भेजा जाएगा।

9. योजना से आच्छादित कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के योजानान्र्तगत क्लेम भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निस्तारित किये जायेगे। क्लेम की धनराशि एकाउन्ट पेयी चैक के माध्यम से सम्बन्धित को प्राप्त करायी जायेगी।

10. आंगनबाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना के अन्तर्गत निम्नवत् प्राविधान है:-

(1) यह योजना 18 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग के सदस्यों पर लागू होगी।

(2) दुर्घटना के अतिरिक्त अन्य किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर : रू0 20000/-

(3) दुर्घटना से मृत्यु होने पर : रू0 50000/-

(4) दुर्घटना से स्थायी अपंगता होने पर : रू0 50000-/

(5) दुर्घटना से दोनों आंखे अथवा दो अंग नष्ट होने पर

अथवा

एक आंख एवं एक अंग नष्ट होने पर : रू0 50000/-

(6) दुर्घटना से एक आंख अथवा एक अंग नष्ट होने पर : 25000/-

(7) बीमित व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत दो बालको को प्रत्येक तिमाही प्रति विद्यार्थी रू0 300/- की छात्रवृत्ति दी जायेंगी। यदि विद्यार्थी उत्तीर्ण होता है तो अगले वर्ष उसी कक्षा में अध्ययन के लिये उसे छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।

(8) गम्भीर बिमारी में विशेष लाभ का प्राविधान : स्तन कैंसर, गर्भाशय, कैंसर/फैलोपियन ट्यूब कैंसर, सर्विकल कैंसर, युटेराइन कैंसर में से कोई एक गम्भीर बिमारी होने पर रू0 20000/- दिये जायेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों को सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकों के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(एस0के0 मुट्टू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

क्रमशः—3/—

पृष्ठांकन: ___/बीमा योजना–48 तद् दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।

2– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी।

4– समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/ बाल विकास परियोजना अधिकारी।

5– क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, देहरादून, उत्तरांचल कृपया आवेदन पत्रों की उपलब्धता जनपद स्तरों पर सुनिश्चित करायें।

आज्ञा से,

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव